आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई बारे में टिप्पणी तारीख सहित

21/6/14

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-172/2014-15

(1) बिमली उराईन ..... आवेदक।

बनाम्

(1) मो० मकीव
(2) मो० असलम
(3) जीमल खाँ ..... विपक्षीगण।

आदेश

आवेदिका बिमली उराईन पिता–सोमरा उराँव एवं पति–प्रमोद लकड़ा निवासी स्थान–नगड़ा टोली, थाना–लालपुर, जिला–राँची के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया गया है। जो वाके मौजा–राँची, थाना नं०–205, खाता–88, प्लॉट नं०–671 तथा कुल रकबा–83 कट्ठा पर आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी जमीन विपक्षीगण (1) मो० मकीव, पिता–नेजामुद्धीन, (2) मो० असलम, पिता–लाल मोहम्मद एवं (3) जीमल खाँ, पिता–स्व० सम्सुजमा खान ने छल प्रपंच कर जमीन को हड़प लिये हैं।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकबा
राँची	205	88	671	83 कट्ठा

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में रशु उराँव वल्द टोंगे उरांव वो जतरू उरांव वल्द कोके उरांव के नाम से दर्ज है। आवेदिका खतियानी रैयत के वंशज है एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदिका को बेदखल कर दिया है।

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु द्वितीय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया।

21/6/14

कृ०पृ०उल्टे

आवेदिका ने अपने आवदेन के साथ शपथ पत्र भी दाखिल किया इसमें उन्होंने कहा है कि खतियानी रैयत कोके उरांव अपने एक पुत्र जतरू उरांव को छोड़ गए। जतरू उराँव अपने पीछे लंगड़ा उरांव एवं बन्धु उरांव (नावल्द) को छोड़ गये। लगड़ा उराँव ने अपने पीछे एक पुत्र सोमरा उराँव को छोड़ गये। सोमरा उरांव ने अपने पीछे एक पुत्र काली उराँव (मृत) एवं एक पुत्री विमली उराईन को छोड़ गये, जो इस वाद में आवेदिका एवं खतियानी रैयत की वंशज है।

विपक्षीगण लगातार इस वाद में अनुपस्थित रहते आ रहे थे, अतः समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित किया गया। प्रकाशन के बाद भी विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद को एकपक्षीय सुनवाई हेतु आवेदन दिया गया, जिसे स्वीकार लिया गया।

आवेदक की ओर से गवाह प्रस्तुत किये गये, जिसमें गवाह संख्या– (1) सुकरा उराँव, है तथा गवाह संख्या–(2) आवेदिका विमली उराईन है। विमली उराईन द्वारा बताया गया कि यह जमीन मेरे मायके की है। इसलिए इस जमीन पर मेरा हक एवं हिस्सा है। आवेदिका कि ओर से खतियान की कॉपी दाखिल किया गया है।

आवेदिका के आवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में आदिवासी रैयत के नाम से कायमी दर्ज है और आवेदकगण की अपनी खतियानी भूमि है, लेकिन आवेदिका की शादी हो चुकी है।

अतः यह वाद स्वत्व से संबंधित मामला प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में यह वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। इस संबंध में उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते है। अतः वाद बिना कोई आदेश पारित किए ही समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

21/6/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

21/6/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.07 12:53:27 +05:30
Location: 192.168.2.158